

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग।

सं०सं०-01/एम०एम०(ब्रिक)-02/17-.....848...../एम०, पटना, दिनांक-13.2.18  
प्रेषक,

E-mail

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक  
सभी सहायक निदेशक  
सभी खनिज विकास पदाधिकारी  
सभी खान निरीक्षक।

विषय:- फलाई ऐश ब्रिक्स अथवा फलाई ऐश से निर्मित उत्पादों के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के पत्रांक T-646 दिनांक 05.02.18 की छायाप्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन  
13/2/18  
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार  
खान भूतत्व विभाग  
वितरण शाखा

क्रमांक/पर 1093  
5.2.18



# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-सदाकत आश्रम, पटना-800 010  
दूरभाष नं०-0612-2261250/2262265, फ़ैक्स-0612-2261050

पत्रांक:- 7646

पटना, दिनांक:- 05.2.18

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.घ.सं.,

सदस्य-सचिव,

सेवा में,

सि 3249

1. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. प्रधान सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली।
9. प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
10. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
11. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
12. प्रबंध निदेशक, डॉ. पी. ए. पी. आर. डॉ., पटना।
13. प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
14. प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), पटना।
15. प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना।
16. प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना।
17. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।

ASB/RC/10  
N

SA Bhatnagar  
3/2

विषय:- फ्लाई ऐश ब्रिक्स अथवा फ्लाई ऐश से निर्मित उत्पादों के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि तापीय विद्युत संयंत्रों के 300 किलोमीटर त्रिज्या क्षेत्र में सभी निर्माण एजेंसियों द्वारा फ्लाई ऐश उत्पादों का उपयोग भवन निर्माण कार्य में सुनिश्चित किया जाना है। इस क्षेत्र में सड़कों अथवा फ्लाई ओवर आदि के निर्माण में भी उपरो मृदा का उपयोग नहीं किया जाना है।

राज्य में फ्लाई ऐश के उपयोग की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को दिनांक-10.10.2017 को बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अनुरोध है कि अपने विभाग/प्राधिकार/संस्था द्वारा संचालित निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश/फ्लाई ऐश उत्पादों की उपयोगिता से संबंधित योजनावार एवं जिलावार सूचना इस पर्षद् को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय। यदि फ्लाई ऐश/फ्लाई ऐश उत्पादों की उपलब्धता में कोई कठिनाई महसूस की गयी हो, तो भी पर्षद् को विस्तृत ब्यारे कं साथ अवगत कराया जाय, ताकि संबंधित ताप विद्युत परियोजना से इसका निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय, क्योंकि इस विषय का माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है।

खान भू-तत्व विभाग  
वितरण शाखा  
क्रमांक/पर 599  
06/02/18

खान का कोषांग  
ख तिथि- 6-7-3/6-2-018

333/2040  
2/2/18

333/12/18

विश्वसंधिजिने  
(आलोक कुमार)  
सदस्य-सचिव

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0-01 / एम0एम0(ब्रिक)-02 / 17-..... / एम0, पटना, दिनांक-.....  
प्रेषक,

E-mail

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक  
सभी सहायक निदेशक  
सभी खनिज विकास पदाधिकारी  
सभी खान निरीक्षक।

विषय:- फलाई ऐश ब्रिक्स अथवा फलाई ऐश से निर्मित उत्पादों के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक T-646 दिनांक 05.02.18 की छायाप्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक ..... 848 ..... / एम0 पटना दिनांक ..... 13.2.18 .....

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/18

सरकार के अवर सचिव।